FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी	ना म	अब्दुल सतार पुत्र ईब्राहीम जाति व्यापारी मुसलमान कुचामनसिटी खेरून पुत्री इस्माईल वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र 179/2021 179/2021 **GCMS No.** 2021/216

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.06.2021	यह राजस्व प्रार्थना–पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दीपपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 2.59 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि को अकृषि (प्लाटिंग कर आवासीय) के रूप में बिना विहित प्राधिकारी की काम में लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नही है, अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पांबद फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 29.07.2021 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दीपपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 2.59 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को नुकसान नही पहुचाये एवं अन्यत्र बेचान, हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही करे, दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिये उपयोग में नही लेवे। पत्रावली दिनॉक 29.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.07.29 17:53:45 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम सतार वगैरह		
प्रार्थना–पत्र नम्बर 179 / 2021	GCMS No.2021/216	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.07.2021	वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 27 रकबा 2.59 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय खातेदारी की आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रक्रियाधीन है जिसकी रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण में कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थीगण शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.07.29 17:53:45 IST Reason: SelfAttested	